

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198. कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

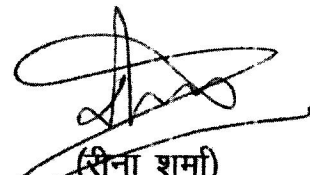
क्रमांक : एफ 20 (11) () बा.अ.वि./कि.न्या.अ./कि.न्या.बो./बा.क.स./का.ग्र./15/8839 जयपुर दिनांक: 20/5/16

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं 27 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
प्रसंग:- विभागीय जारी विज्ञप्ति पत्रांक 7202 एवं 7113 दिनांक 13.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हैं कि निदेशालय बाल अधिकारिता के पत्रांक 7202 एवं 7113 दिनांक 13.05.2016 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं 27 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु वर्णित अर्हताएँ रखने वाले गैर राजकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट का लिंक अंकित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र अपलोड कराने की कृपा करावें।


(सीना शर्मा)
उपनिदेशक, सारा
उमादी (प्र.)

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20 / 198. कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के मनोनयन हेतु नवीन आवेदन प्रारूप

1.	आवेदक का नाम		आवेदक की नवीन फोटो
2.	पिता/पति का नाम		
3.	जन्म तिथि (आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)		
4.	शैक्षणिक योग्यता		
5.	व्यवसायिक योग्यता		
6.	अन्य योग्यता		
7.	वर्तमान व्यवसाय		
8.	ऑफिस का पूर्ण पता		
9.	निवास का पूर्ण पता		
10.	ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल. नम्बर		
11.	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दु संख्या 1 उल्लेखित अर्हताओं में कौन-सी अर्हता रखते हैं, का विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
12.	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभव की अवधि दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
13.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण		

	देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
14.	बाल कल्याण से संबंधित उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलिप रहने का कार्य की अवधि सहित विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
15.	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्ध हो चुका है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें।	
16.	क्या आवेदक बालक से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले या अनैतिक कार्य में सम्मिलित रहा है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें।	
17.	क्या आवेदक ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय व ध्यान न दे सकता हो। यदि हाँ तो विवरण देवें।	
18.	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं, तो उक्त पद पर रहने की अवधि का उल्लेख करें। (पुष्टि हेतु 10/-रूपये का शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापन करवाकर संलग्न करें।)	
19.	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता है)	

नोट: भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

संलग्न

आवेदक के हस्ताक्षर